

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, खालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 363—पीबीआर/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 7-12-16 पारित
द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक
23/अप्रैल/13-14.

- 1— गगन आत्मज रामचरण मीना
2— जगदीश आत्मज रामचरण मीना
निवासीगण ग्राम मीरपुर
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....आवेदकगण

विरुद्ध

लीला बाई पल्ली शिवचरण
निवासी ग्राम बीनापुर
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....अनावेदिका

श्री आर.एन. मालवीय, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में
संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला
भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-12-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा ग्राम मीरपुर तहसील
हुजूर के पंजी क्रमांक 12 में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-6-06 के
विरुद्ध प्रथम अप्रैल अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष दिनांक
5-11-13 को 7 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु
अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय
अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अप्रैल/13-14 दर्ज कर दिनांक 7-12-16 को अंतिम
आदेश पात्रित कर अप्रैल अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया।

002

अवधि

अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सुसंगत अभिलेख देखे बिना अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्थीकार करने में वैधानिक भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 12 पर हुए बटवारा दिनांक 25-4-06 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, और विलम्ब के सम्बन्ध में कोई भी समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया है, केवल यह बताया गया है कि आदेश की जानकारी पटवारी से हुई, परन्तु यह नहीं बताया गया है कि अनावेदिका द्वारा 7 वर्ष तक कोई जानकारी क्यों नहीं ली गई । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब माफ करने का कोई समाधानकारक कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है, और न ही आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत उत्तर और आपत्ति पर कोई विचार किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नामान्तरण आदेश के विरुद्ध प्रकरण कमांक 22/अपील/13-14 प्रस्तुत किया गया है, उसके बाद नामान्तरण एवं बटवारा आदेश के विरुद्ध प्रकरण कमांक 23/अपील/13-14 प्रस्तुत किया गया है, अतः जब तक नामान्तरण का आदेश निरस्त नहीं होता, तब तक बटवारा प्रकरण कमांक 23/अपील/13-14 प्रचलन योग्य नहीं था, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण बताना आवश्यक है, किन्तु अनावेदिका द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है, जिस पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि प्रक्रिया के विपरीत एवं अभिलेख के विपरीत आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।


4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका हितबद्ध पक्षकार होकर मृतक भूमिस्वामी रामचरण की पुत्री है, इसलिए वह प्रश्नाधीन भूमि पर बराबर की हिस्सेदार थी, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बटवारे की

कार्यवाही में अनावेदिका को सुनवाई का अवसर नहीं किया गया है। इस आधार पर कहा गया कि चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका को बिना सुने आदेश पारित किया गया है, अतः उसे तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। यह भी कहा गया कि अवैधानिक आदेश को चुनौती देने के लिए समय—सीमा का कोई बन्धन नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब माफ करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का गुण—दोष पर निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है।

उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में अनावेदिका को न तो सूचना दी गई है और न ही सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, अतः अनावेदिका को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत अपील को समय—सीमा में मान्य करने में उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-12-16 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
राज्यालय